

प्रमाण पत्र

उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ के पत्रांक 1528/12-1(11) दिनांक 12.10.2018 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित परियोजना की नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के संरक्षित क्षेत्र की बाहरी सीमा के निकटतम हवाई दूरी 10.10 कि०मी० है। प्रस्तावित पेयजल योजना से जोशीमठ नगर क्षेत्र लाभान्वित होंगे जिसकी जनसंख्या 19292 है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पार्क के संरक्षित क्षेत्र के बाहरी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थापित वाटर होल्स के लिये कार्यदायी संस्था पानी उपलब्ध करायेगी।

अतः प्रस्तावित पेयजल निर्माण की संस्तुति की जाती है।

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742584 फैक्स-2745691 ई-मेल- cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 1115/12-1 देहरादून

दिनांक 23-10-
सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि— उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन, विकास एवं निर्माण निगम, गोपेश्वर, जिला-चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।